प्रेस विज्ञप्ति
26.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराध, 1985 के एनडीपीएस अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत धन शोधन के एक मामले में लगभग 7.17 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने गोवा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा अपराध संख्या 01/2021 दिनांक 07.03.2021 में उगोचुकु सोलोमन उबाबुको, इन्फिनिटी जॉन उर्फ डेविड उर्फ वैलेंटाइन एजेजी और प्रसाद प्रकाश वालके के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। एनसीबी ने गोवा के असागाओ स्थित परिसर से एलएसडी, कोकीन, चरस और गांजा सहित व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए थे। प्रसाद वालके के आवासीय परिसर की तलाशी में एलएसडी भी बरामद हुई। प्रसाद वालके को इससे पहले 2018 में एनसीबी और फिर 2023 में गोवा पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एमडीएमए, एक्स्टसी पाउडर और हाइड्रोपोनिक वीड की बरामदगी से जुड़े अलग-अलग एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

ईडी की जांच में पता चला कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धनराशि को प्रसाद प्रकाश वालके और श्रीमती शीतल प्रसाद वालके के नाम पर रखे गए कई बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद जमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लाया गया था।

संलग्न संपत्तियां, जिनका वर्तमान मूल्य लगभग 7.17 करोड़ रुपये है, में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सर्वे संख्या 155/10, असागाओ, बार्देज़, गोवा में स्थित तीन मंजिला आवासीय मकान; (ii) सर्वे संख्या 182/56, असागाओ, बार्देज़, गोवा में स्थित दो मंजिला मकान; और (iii) सर्वे संख्या 182/47, असागाओ, बार्देज़, गोवा में स्थित दो मंजिला मकान। ये अचल संपत्तियां प्रसाद प्रकाश वालके और श्रीमती शीतल प्रसाद वालके के नाम पर हैं और इन्हें कुर्क कर लिया गया है क्योंकि ये एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अनुसूचित अपराधों से प्राप्त अपराध की आय का गठन करती हैं।

ईडी, पीएमएलए और संबंधित कानूनों के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, ईडी मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प पर अडिग है। अवैध धन की हेराफेरी को रोकने और मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित धन से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करके, ईडी नशामुक्त भारत के राष्ट्रीय अभियान के उद्देश्य को सुदृढ़ कर रही है। यह अभियान अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने और ऐसी गतिविधियों से प्राप्त अपराध की धनराशि का पता लगाने, उसकी पहचान करने और उसे जब्त करने के लिए ईडी के निरंतर प्रयासों का उदाहरण है, साथ ही एक कड़ा निवारक संदेश भी देता है।

मामले की आगे की जांच जारी है ताकि सभी लाभार्थियों, सहायकों की पहचान की जा सके और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों का पता लगाया जा सके.